सत्यमेव जयते

संख्या १

बिहार विधान सभा वादवृत्त

सरकारी रिपोर्ट

बुधवार, तिथि १ सितम्बर, १९५४।

Vol. V

No. 1

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official Report

Wednesday, the 1st September, 1954.

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, बिहार,
पटना, द्वारा मुद्रित,
१९५५।

[मूल्य—६ आना।]

[*Price—Annas 6.*]

Receipts in aid of Superannuation, Stationery and Printing, Miscellaneous, Receipts from Road Transport Scheme?

Dr. ANUGRAH NARAYAN SINHA: Accounts of Revenue are not kept district or divisionwise, and hence it is not possible to give this information.

THE PRINCIPAL SOURCES OF REVENUE FROM SINGHBHUM DISTRICT.

131. Shri SHUBHA NATH DEOGAN: Will the Minister-in charge of the Revenue Department be pleased to state—

(*a*) the principal sources of Revenue from the Singhbhum District;

(*b*) the Revenue under each source (head) for the years 1951-52, 1952-53 and 1953-54 of Singhbhum?

Dr. ANUGRAH NARAYAN SINHA: (*a*) The principal sources of Revenue of the district of Singhbhum are those common to each district, such as Agricultural Income Tax, Land Revenue, Excise, Stamps, Forest, etc., etc.

(*b*) Accounts of Revenue are not kept districtwise and hence it is not possible to give this information.

चक्रधरपुर में बिक्री कर।

१३२। श्री सुखदेव मांझी—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर थाना के अन्तर्गत कितने लोग बिक्री कर देते हैं;

(ख) उनके नाम क्या हैं तथा वे किस चीज का व्यापार करते हैं;

(ग) वे १९५२ और १९५३ साल में कितने रुपये का कारबार किये तथा कितने रुपये सरकार को बिक्री कर के रूप में दिये;

(घ) क्या यह बात सही है कि अब तक बहुतों के यहां बिक्री कर बाकी है;

(ङ) यदि खंड (घ) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो बाकी बिक्री कर की वसूली के लिये सरकार क्या विचार कर रही है?

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—(क) बिक्री कर दाताओं की संख्या प्रति वर्ष बदलती रहती है। इस वर्ष उनकी संख्या १५३ है।

(ख) संबंधित सूचना नीचे दी गई तालिका में है।

(ग) १९५२-५३ में इन व्यापारियों ने १,४७० रुपये ८ आ० ६ पा० कर के रूप में दिया है। बिहार सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९४७ की धारा ३० के अनुसार किसी भी व्यापारी के कारबार तथा उसके कर के संबंध में बताना मना है।